

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुकम में जारी
---------------	-----------------------------------	------------------------------------

8/5/18


[राजस्थान लोक अदालत केंद्र कोर्ट 2018]
आज यह पनावली शकस्ट लॉक
अदालत केंद्र मुकाम राम. प. मध्याह्न
में पेरा डई आर्देड्ड रजालीनर उण्ण
अनोवेदडगळ अं ते कोई भी आज उण्ण
वही आर्दे। मितल वास्ते र्नाविडकार्फ
वही हेतु कर्द कोई दिनाड 9/5/18 को पेरा डे

2 जाली 218

9/5/18

जयगारा 218

अभियन्ता



जाली 2

पनावली पेरा डई वारी प्राची स्वयं वकील
प्राची व अप्राची। कउ स्वयं उपस्थित।
अप्राची नव 4 व 5 की नाथीक सम्पद रूप में
होने के कारण भी ना तो दिनाड 8/5/18
शकस्ट लॉक अदालत केंद्र मुकाम राम. प. मध्याह्न
में डू में ते कोई भी उपस्थित वही आर्दे। कही
आफ उपस्थित आर्दे। इसी दिनाड में अप्राची
नव 4 व 5 के विरुद्ध एड पक्षीफ कार्फिकारी
आमल में जारी जारी है प्राची व अप्राचीन
। कउ द्वारा आफ एड प्राव-पक इक आश्च
का पेरा कार निवेदन किना कि उकर प्रकार
प्राची का स्वीकार कर पत्तजादी कावाने में
अप्राची नव। कउ को कोई एतराफ नहीं है
प्रकार का लोड अदालत की मावना के
निहाण किना जावे। प्राची / अप्राची जो
प्राव-पक पर गौरेडि री पर मुक्त पाकर प्राव
पक स्वीकार किना जावा है पनावली निषेध के
नी पाकर अवलोकन किना जावा। प्राची द्वारा
उकर प्राव-पक पत्तजादी का संश्लेष में नए इक

उपस्थित अधिकारी
बुधरा (वक)

उपस्थित अधिकारी
बुधरा (वक)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)


ज अदालत _____ मुकाम _____

रुम मुकदमा _____ नं. 2/2018 _____ सन _____

बनाम _____

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>प्रकार से है कि जमीन हाल 290 नं 465 रकबा 0.86 हे० सरहद राजस्व गाम भूशमर के लिए है। उक्त जमीन के रखातेदार आवेदक व अनावेदक नं 1/ 1003 है। जिलकी नपति फर्द मौका दिनांकित 28-6-2017 के अनुसार रकब नं 465 गाम भूशमर के उत्तर पूर्व तीमा के तथा पश्चिम दक्षिण तीमा के फुल्ला सीमा चिन्ह कायम कर पत्परगदी कारन के लिए तहसीलदार झुझुर को आदेश दिया जा के का रिपोर्ट किया है। प्रा०-पत्र प्राणी का स्वीकार किया जात आपसी सहमति अर्थात् गाम के 0 माघोचित है।</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>आवेदक का पत्परगदी प्रा०-पत्र अ० धारा 111 व 128 राज. भू- राजस्व अधिनियम 1951 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुझुर को आदेशित किया जात है कि वादी प्राणी के स्वयं पर अपनी स्वयं की उपस्थिति में स्वयं भौके पर सहकर गाम भूशमर के रकब नं 465 रकबा 0.86 हे० कि फर्द मौका नपति दिनांकित 28-6-2017 के अनुसार फुल्ला चिन्ह कायम कर पत्परगदी कारन जावे। पाल नार्थ फर्द अहकाम स्वी जारी हो। पत्परगदी कारन अहकाम होकर -</p>	

आधिकारी
[Signature]

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर अहक हुक्म में</p>
	<p>दर्ज नम्बर ले कर ले एव कांड वकालत नतीक सादिल्ला पदर है। आदेका आठ दिनाक 9-5-2018 को सुले व्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">  स. सु. (राज.) </p>	

का
२